

आप सही चीज़ कैसे कर सकते हैं - घोषित करें, फेंक दें अथवा पीछे छोड़ दें

न्यू ज़ीलैण्ड में, कानून अत्यधिक स्पष्ट है। यदि आप के पास एयरलाईन द्वारा दिये गए भोजन जैसी जैव-सुरक्षा हेतु जोखिमपूर्ण वस्तुएं हैं, तो आप को उनको अवश्य ही घोषित करना होगा अथवा हमारी सीमाओं पर मौजूद ऐमनैस्टी विन्स में उन का निपटान कर देना होगा - अथवा ऐसी वस्तुएं अपने साथ लाएं ही नहीं।



जी हां घोषित करें

न्यू ज़ीलैण्ड आने वाले प्रत्येक यात्री को एक यात्री आगमन कार्ड मिलता है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा जोखिम वाली प्रत्येक व सभी वस्तुओं संबंधी घोषणा करते हुए इसे भरें। निरीक्षण उपरान्त, अधिकतर वस्तुएं आप को वापिस कर दी जाएंगी। फिर भी, कुछ वस्तुओं का उपचार भी करना पड़ सकता है तथा आप को इस सेवा हेतु भुगतान करना पड़ सकता है। जो वस्तु देश के भीतर नहीं ले जाई जा सकती, उसे तत्काल नष्ट कर दिया जाएगा। आप स्वयं के खर्च पर उस वस्तु को अपने मूल देश वापिस भी भेज सकते हैं।



निपटान करें

हमारी सीमाओं पर ऐमनैस्टी विन्स प्रदान किए जाते हैं, जिन में आप बायो-सिक्योरिटी प्रक्रिया में से निकलने से पूर्व जोखिमपूर्ण वस्तुओं का निपटान कर सकते हैं।



यदि आप निरुसंशय नहीं हैं, तो इसे पीछे छोड़ दें अथवा घोषणा करें

यदि आप हमारे हवाई अड्डों व अन्य सीमाओं पर से शीघ्रतया निकलना चाहते हैं, तो जोखिमपूर्ण वस्तुएं अपने साथ न ले कर आएं - तथा यदि आप को निरुसंशय नहीं है कि आप के पास मौजूद वस्तु जोखिमपूर्ण है या नहीं, तो उन संबंधी घोषणा करें।



यदि आप कानून का अनुपालन नहीं करते हैं

न्यू ज़ीलैण्ड के कानून अनुसार अपने साथ लाई गई सभी जोखिमपूर्ण वस्तुओं की घोषणा आप को करनी होती है। यदि आप अपने यात्री आगमन कार्ड पर जोखिमपूर्ण वस्तुओं की घोषणा नहीं करते हैं तो आप को तत्काल 400 डालर तक का जुर्माना किया जा सकता है अथवा आप पर अदालत में केस चलाया जा सकता है। अदालती केस में 100,000 डालर तक का जुर्माना या कैद का दण्ड दिया जा सकता है।



अपना सामान खोलते समय ध्यान रखें

जब आप अपने बैग खोलते हैं तो अपनी वस्तुओं में मौजूद किसी जीवित कीड़ों-मकोड़ों या जानवरों का ध्यान रखें। यदि आप को कुछ मिलता है तो यह महत्वपूर्ण हो सकता है तथा हम इस संबंधी जानना चाहते हैं - कृपया हमारी 24 घंटे चलने वाली हॉटलाइन **0800 80 99 66** पर कॉल करें।

किसी प्रतिबन्धित वस्तु को न्यू ज़ीलैण्ड में आयात करने से पूर्व ध्यान रखने योग्य 'इम्पोर्ट हेल्थ स्टैंडर्ड्स' आवश्यकताओं व आवश्यक प्रमाण पत्रों के विवरण हेतु, कृपया यह देखें: www.mpi.govt.nz

अस्वीकरण:

इस विवरणिका में दी गई जानकारी प्रकाशन के समय सही है। न्यू ज़ीलैण्ड में मनाही वाली व प्रतिबन्धित वस्तुओं की आवश्यकताएं किसी समय बिना किसी अग्रिम सूचना के बदली जा सकती हैं। यदि कोई संशय हो तो किसी कुरेनटाइन इन्स्पेक्टर से पूछें।

लुप्त हो रही प्रजातियों के व्यापार को रोकने हेतु न्यू ज़ीलैण्ड ने भी एक विश्वव्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। कुछ नियत पशु उत्पाद, खोल व मूंगे सही सी आई टी ई एस दस्तावेजों के बिना न्यू ज़ीलैण्ड नहीं लाए जा सकते। देखें cites.org।

घोषित करें निपटान करें। यह न्यू ज़ीलैण्ड का कानून है।

New Zealand Government

MPI0032/JUN2013/HIN

घोषित करें अथवा निपटान करें

जैव-सुरक्षा हेतु जोखिमपूर्ण वस्तुओं का

यह न्यू ज़ीलैण्ड का कानून है



Ministry for Primary Industries
Manatū Ahu Matua



यदि आप न्यू जीलैंड की उड़ान भर रहे हैं

न्यू जीलैंड के कानूनों का पालन करना महत्वपूर्ण है। इस का अर्थ है कि आप को हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अपने पास मौजूद जोखिमपूर्ण सभी वस्तुओं की घोषणा करनी होगी या निपटान करना होगा। आप के पास ऐसी कोई वस्तुएं हो सकती हैं, जिन्हें कीटाणु व रोग चिपटे हों। ये कीटाणु व रोग हमारे देश के वातावरण व उस की अर्थ व्यवस्था के लाखों डालर का नुकसान कर सकते हैं।



तब क्या होगा जब आप न्यू जीलैंड की सीमा पर पहुंचते हैं

न्यू जीलैंड की सीमाओं पर महत्वपूर्ण जैविक-सुरक्षा उपाय मौजूद होते हैं:

- 1 अपना 'यात्री आगमन कार्ड' (पैसेन्जर अराईवल कार्ड) सही ढंग से भरें। अपने पास मौजूद प्रत्येक जोखिमपूर्ण वस्तु का वर्णन अवश्य करें।
- 2 वह प्रत्येक वस्तु निकाल दें जिस की घोषणा आप ने ऐमनेस्टी विन्स में नहीं किया।
- 3 अपना यात्री आगमन कार्ड कुरेनटाइन इन्स्पेक्टर को दिखाएं। घोषित की गई जोखिमपूर्ण वस्तुओं का तब निरीक्षण किया जा सकता है।

आपके बैग भेदिया कुत्तों द्वारा सूंघे जा सकते हैं, उन्हें एक्स-रेज में से निकाला जा सकता है अथवा उन की तलाशी ली जा सकती है।

यदि आप निःसंशय नहीं हैं, तो घोषणा करें।

जोखिमपूर्ण वस्तुओं की घोषणा आप अवश्य करें:

ये सभी वस्तुएं न्यू जीलैंड हेतु एक जोखिम हैं तथा उन की घोषणा अवश्य करनी होगी। यदि आपको पता नहीं लग रहा तो घोषणा करें।

कोई मास, मछली
अथवा पोल्ट्री।



ताज़ा अथवा
सूखी हुई फल व
सब्जियां।



कोई भी पौधे कटे हुए
पौधों की कतरनें, जड़ें,
गांठें, कन्द, उठाव या
गूमड़ी व बीज।



खाना पकाने हेतु उपयोग में
लाई जाने वाली वस्तुएं, सभी
डेयरी उत्पाद, शहद, पराग,
मधुमक्खियों से संबंधित अन्य
उत्पाद, सूखी फलियां व बीज
एवं मसाले।



लकड़ी से बनी सभी वस्तुएं,
ड्रम, डोलधडिबेच्छ, नक्काशी, छोटी
बरछियां व मास्क, कोई बीज या
भूसे से भरी वस्तुएं, बांस, केन,
नारियल अथवा तिनकों, या बाल,
फूर, कच्ची ऊन, त्वचा, पंखों व
हड्डियों से बनी वस्तुएं।



पारंपरिक व जड़ी-बूटियों
वाली दवाईयां अथवा
औषधियां, स्वास्थ्य अनुपूरक
व होमियोपैथिक दवाईयां जिन
में किसी जानवर या पौधे के
उत्पाद होते हैं।



सभी आऊटडोर, कैम्पिंग,
खेल उपकरण, पर्वतारोही
जूते व अन्य खेल सम्बन्धि
त जूते, जो मिट्टी, बीज
या पानी से दूषित हुए हो
सकते हैं।

नोट: घोषित की जाने वाली सभी जोखिमपूर्ण वस्तुओं की संपूर्ण सूची हेतु अपना यात्री आगमन कार्ड देखें अथवा www.mpi.govt.nz को देखें।